तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रमेश चन्द शर्मा बनाम राजस्थान राज्य** **अपील संख्या 193 / 2022 (जीसीएमएस नम्बर 2020 / 00202)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। चूँकि न्यायालय हाजा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदत्त नही होने के कारण हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्त्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने के कारण हस्तगत अपील अग्रिम कार्यवाही हेतु भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर को कैम्प कोर्ट दौसा में दिनांक 20.06.2024 पेश होने हेतु भिजवाई जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.06.2024 को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष उपस्थित हों। न्यायालय हाजा के स्तर से पत्रावली नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया। **(डॉ0प्रवीण कुमार)** अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर।	